

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2020—चैत्र 3, शक 1942

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2020 (चैत्र 3, 1942)

क्र. 4917-मप्रविस-15-विधान-2020.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 23 मार्च, 2020

लाल जी टंडन
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश. ”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.